न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–213/2012
CIS NO-TS-232/2018

अरून्ति देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभूषण पाण्डेय उर्फ चन्द्रभूषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
12.10.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 23.06.2023 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 23.06.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादिनी ने विवादित भूमि मय मकान पर अपने स्वत्व की घोषणा हेतु लाया है। वादिनी द्वारा अपना साक्ष्य पूर्ण कर लिया है तथा अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। वादिनी प्रतिवादी की सौतेली माँ है। दिनांक 05.06.2023 को अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु निर्धारित था। प्रतिवादी की पत्नी लगातार अस्वस्थ्य चल रही है। जिनकी देखभाल हेतु लगे रहने के कारण प्रतिवादी गवाह न्यायालय में उपस्थित नही कर सका। अतः न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया। प्रतिवादी अभी साक्ष्य कराना चाहता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 05.06.2023 के प्रतिवादी साक्ष्य बंद करने के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। वादिनी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 22.07.2023 को दाखिल किया गया है तथा कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन विधि एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण न्यायालय द्वारा हर्जे की राशि पर कई तिथियाँ दी गयी तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2018 को ही प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत कर प्रतिवादी को साक्ष्य देने का अवसर प्रदान किया गया था परंतु रिकॉल आवेदन की स्वीकृति के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अतः दिनांक 05.06.2023 को	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–213/2012
CIS NO-TS-232/2018

अरून्ति देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभूषण पाण्डेय उर्फ चन्द्रभूषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

लगातार 12.10.2023	प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर अभिलेख बहस हेतु निर्धारित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा 07 वर्षो में अपना साक्ष्य पूर्ण नही किया गया है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। प्रस्तुत वाद में दिनांक 25.04.2018 से प्रतिवादी साक्ष्य हेतु निर्धारित है। दिनांक 12.07.2018 को प्रतिवादी का साक्ष्य बंद किया गया क्योंकि प्रतिवादी द्वारा विगत कई तिथियों से साक्ष्य नही लाया जा रहा था तथा अभिलेख बहस हेतु निर्धारित किया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 02.08.2018 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन दिया गया। जिसे मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार कर प्रतिवादी साक्ष्य हेतु अभिलेख रखा गया। पुनः दिनांक 02.08.2022 को प्रतिवादी को साक्ष्य लाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया परंतु प्रतिवादी की ओर से आगामी तिथि पर कोई साक्ष्य नही लाया गया पुनः दिनांक 21.10.2022 को प्रतिवादी को मो0–500/– हर्जे पर साक्ष्य लाने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी को पुनः दिनांक 09.02.2023 को मो0–800/– रूपये हर्जे पर साक्ष्य लाने हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 16.05.2023 को एवं दिनांक 05.06.2023 को प्रतिवादी की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नही कराया गया। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2023 को प्रतिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया पुनः प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.06.2023 को प्रस्तुत आवेदन दिया गया। आवेदन के साथ प्रतिवादी की ओर से अपनी पत्नी का कोई भी चिकित्सीय पुर्जा दाखिल नही किया गया है। जिससे स्पष्ट हो कि प्रतिवादी की पत्नी बिमार थी। प्रतिवादी को करीब साढे 06 वर्षो से साक्ष्य लाने हेतु समय दिया जा रहा है। परंतु प्रतिवादी द्वारा साढे 06 वर्षो में भी अपना सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नही कराया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी मात्र वाद को लंबित रखना चाहता है तथा न्यायालय की	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–213/2012</u>

<u>CIS NO-TS-232/2018</u>

अरून्ति देवी.....वादिनी

बनाम

शशिभूषण पाण्डेय उर्फ चन्द्रभूषण पाण्डेय.....प्रतिवादी

लगातार 12.10.2023	कार्यवाही को अनावश्यक रूप से अवरूद्ध करना चाहता है। अतः प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 23.06.2023 को खारिज किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी बहस हेतु आवश्यक कदम उठावें। आगामी दिनांक 10.11.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	